बिहार सरकार
सामान्य प्रशासन विभाग
—:: संकल्प ::—

पटना—15 दिनांक......................

श्री मृत्युंजय कुमार, बि0प्र0से0, कोटि क्रमांक—892/23, तत्कालीन जिला पंचायती राज पदाधिकारी—सह—प्रभारी जिला परिवहन पदाधिकारी, अरवल के विरूद्ध परिवहन विभाग, बिहार, पटना के पत्रांक—5925 दिनांक—26.07.2023 द्वारा जिला पदाधिकारी, अरवल के पत्रांक—376 दिनांक—08.07.2023 को संलग्न कर आरोप—पत्र इस विभाग को उपलब्ध कराया गया।

श्री कुमार के विरूद्ध कार्यो में लापरवाही बरतने, वरीय पदाधिकारियों के आदेशों की अवहेलना करने एवं स्वेच्छाचारिता संबंधी आरोप प्रतिवेदित किया गया।

विभागीय पत्रांक—15029 दिनांक—07.08.2023 एवं अनुवर्ती स्मार पत्रों द्वारा जिला पदाधिकारी, अरवल से श्री कुमार के विरूद्ध प्रतिवेदित आरोप पत्र के चतुर्थ भाग में गवाहों/साक्षियों की सूची अंकित कर प्रतिवेदन उपलब्ध कराने का अनुरोध किया गया।

जिला पदाधिकारी, अरवल के पत्रांक—556 दिनांक—16.10.2024 द्वारा सूचित किया गया कि श्री कुमार के संबंध में परिस्थितिजन्य कारणों के आलोक में तात्कालिक वस्तुस्थिति के आधार पर प्रेषित किये गये आरोप पत्र एवं संबंधित संचिका में उपलब्ध कागजातों के अवलोकनोपरान्त पाया गया कि श्री कुमार के विरूद्ध लगाये गये आरोपों से संबंधित साक्षियों एवं गवाहों की सूची उपलब्ध नहीं है।

जिला पदाधिकारी, अरवल द्वारा गठित आरोप पत्र के आधार पर बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2005 में निहित प्रावधानों के तहत विभाग के स्तर से आरोप पत्र गठित कर अनुशासनिक प्राधिकार के अनुमोदनोपरांत बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2005 में निहित प्रावधानों के तहत विभागीय पत्रांक—18471 दिनांक—19.11.2024 द्वारा श्री कुमार से लिखित अभिकथन की मांग की गयी। श्री कुमार द्वारा लिखित अभिकथन इस विभाग को समर्पित किया गया। विभागीय पत्रांक—20557 दिनांक—24.12.2024 द्वारा जिला पदाधिकारी, अरवल से श्री कुमार द्वारा समर्पित लिखित अभिकथन पर मंतव्य की मांग की गयी। जिला पदाधिकारी, अरवल के पत्रांक—256 दिनांक—17.04.2025 द्वारा लिखित अभिकथन पर मंतव्य के रूप में उप विकास आयुक्त, अरवल की अध्यक्षता में गठित त्रिसदस्यीय समिति का संयुक्त जांच प्रतिवेदन प्राप्त हुआ। संयुक्त जांच प्रतिवेदन में अंकित किया गया कि तत्कालिक परिदृश्य में संभवतः भ्रम की स्थिति उत्पन्न हुई हो, जिसके कारण इनके विरूद्ध कार्रवाई की गयी हो। संयुक्त जांच प्रतिवेदन पर जिला पदाधिकारी, अरवल की सहमति प्राप्त है।

श्री कुमार के विरूद्ध प्रतिवेदित आरोप, इनसे प्राप्त लिखित अभिकथन एवं जिला पदाधिकारी, अरवल से प्राप्त मंतव्य की समीक्षा करते हुए इस मामले को संचिकास्त करने के प्रस्ताव के साथ संचिका अनुशासनिक प्राधिकार के समक्ष प्रस्तुत की गयी।

मुख्य सचिव, बिहार की अध्यक्षता में गठित समिति द्वारा दिनांक—02.06.2025 को मामले की समीक्षा की गयी। समिति द्वारा सम्यक् विचारोपरांत जिला पदाधिकारी, अरवल के पत्रांक—256 दिनांक—17.04.2025 में प्रतिवेदित मंतव्य से असहमत होते हुए श्री मृत्युंजय कुमार के विरूद्ध प्रतिवेदित आरोपों के लिये अनुशासनिक कार्यवाही संचालित करने की अनुशंसा की गयी।

श्री कुमार के विरूद्ध प्रतिवेदित आरोप, इनसे प्राप्त लिखित अभिकथन, जिला पदाधिकारी, अरवल से प्राप्त मंतव्य एवं मुख्य सचिव, बिहार की अध्यक्षता में गठित समिति की अनुशंसा की समीक्षा अनुशासनिक प्राधिकार द्वारा की गयी। समीक्षोपरांत श्री कुमार के विरूद्ध विभागीय संकल्प ज्ञापांक—11925 दिनांक—01.07.2025 द्वारा अनुशासनिक कार्यवाही

संचालित की गयी, जिसमें आयुक्त, मगध प्रमंडल, गया को संचालन पदाधिकारी नियुक्त किया गया।

आयुक्त कार्यालय, मगध प्रमंडल, गया जी के पत्रांक–6015 दिनांक–24.11.2025 द्वारा जांच प्रतिवेदन समर्पित किया गया, जिसमें श्री कुमार के विरूद्ध प्रतिवेदित आरोपों को प्रमाणित नहीं पाया गया।

जांच प्रतिवेदन की समीक्षा के क्रम में मुख्य सचिव, बिहार, पटना की अध्यक्षता में गठित समिति द्वारा दिनांक–12.02.2026 को श्री मृत्युंजय कुमार, बि0प्र0से0, कोटि क्रमांक–892/23, तत्कालीन जिला पंचायती राज पदाधिकारी–सह–प्रभारी जिला परिवहन पदाधिकारी, अरवल के विरूद्ध संचालित अनुशासनिक कार्यवाही को समाप्त करने की अनुशंसा करते हुए यह निर्णय लिया गया कि श्री मृत्युंजय कुमार के संदर्भ में ही यह निर्णय प्रभावी होगा एवं इसे पूर्वोदाहरण नहीं माना जायेगा।

अतः अनुशासनिक प्राधिकार के निर्णयानुसार श्री मृत्युंजय कुमार, बि0प्र0से0, कोटि क्रमांक–892/23, तत्कालीन जिला पंचायती राज पदाधिकारी–सह–प्रभारी जिला परिवहन पदाधिकारी, अरवल के विरूद्ध संचालित अनुशासनिक कार्यवाही को समाप्त किया जाता है। साथ ही यह निर्णय लिया जाता है कि श्री मृत्युंजय कुमार के संदर्भ में ही प्रभावी होगा एवं पूर्वोदाहरण नहीं माना जायेगा।

आदेशः– **आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प की प्रति बिहार राजपत्र के अगले अंक में प्रकाशित किया जाय तथा इसकी प्रति सभी संबंधित को भेज दी जाय।**

बिहार राज्यपाल के आदेश से,

ह0/–

(संजय कुमार)

सरकार के अपर सचिव।

स्पीड पोस्ट
फैक्स

ज्ञापांक–27/आरोप–01–27/2023, सा0प्र0 3879 /पटना, दिनांक 24.2.26

प्रतिलिपि– महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी), बिहार, पटना/वित्त (वै०दा०नि०को०) विभाग, बिहार, पटना/प्रधान सचिव, परिवहन विभाग, बिहार, पटना/ आयुक्त–सह–संचालन पदाधिकारी मगध प्रमंडल, गया/जिला पदाधिकारी, अरवल/कोषागार पदाधिकारी, अरवल/श्री मृत्युंजय कुमार, बि0प्र0से0, कोटि क्रमांक–892/23, तत्कालीन जिला पंचायती राज पदाधिकारी–सह–प्रभारी जिला परिवहन पदाधिकारी, अरवल सम्प्रति भूमि सुधार उप समाहर्ता, शेखपुरा/अवर सचिव, प्रभारी प्रशाखा–12, 14/चारित्री कोषांग एवं आई०टी० मैनेजर (वेबसाईट पर अपलोड हेतु), सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

24/2/26

सरकार के अपर सचिव।